

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2018/Ext.]	चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक ५ सितम्बर, २०१८	
	(14 भाद्र, 1940 शक)	

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग II अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

- 1. अधिसूचना संख्या का०आ०58/के०अ०23/2010/धा०8/2018, दिनांक 5 सितम्बर, 2018— 655—656 नैदानिक स्थापन परिषद का गठन करने बारे।
- 2. अधिसूचना संख्या का०आ०59 / के०अ०23 / 2010 / धा०10 / 2018, दिनांक 5 सितम्बर, 2018— 657—658 प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन करने बारे।

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग IV शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

भाग —III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2018

संख्या का०आ०58/के०अ०23/2010/धा०8/2018.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली नैदानिक स्थापन परिषद् का गठन करते हैं; अर्थात् :—

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग	पदेन अध्यक्ष		
2.	महानिदेशक, आयुष विभाग, हरियाणा	पदेन सदस्य		
3.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा	पदेन सदस्य सचिव		
4.	निम्नलिखित परिषद्ों की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किए जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि,—			
	(क) हरियाणा राज्य चिकित्सा परिषद्	सदस्य		
	(ख) हरियाणा राज्य दन्त चिकित्सा परिषद्	सदस्य		
	(ग) हरियाणा राज्य नर्सिंग परिषद्	सदस्य		
	(घ) हरियाणा राज्य भेषजी परिषद्	सदस्य		
5.	राज्य परिषद् की कार्यकारी द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य आर्युविज्ञान की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिनिधि।			
6.	भारतीय चिकित्सा संघ की राज्य परिषद् द्वारा स निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि।			
7.	परा–चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि।	सदस्य		
8.	स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर—सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि।	सदस्य		

आर० आर० जोवल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT HARYANA

Notification

The 5th September, 2018

No. S.O.58/C.A.23/2010/S.8/2018.— In exercise of the power conferred by section 8 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act 23 of 2010), the Governor of Haryana hereby constitutes the **Haryana State Council for Clinical Establishments** consisting of the following members, namely:-

1.		tional Chief Secretary/ ipal Secretary Health Department	ex-officio Chairman
2.	Director General AYUSH Department		ex-officio Member
3.	Director General Health Services Haryana		ex-officio Member Secretary
4.		representative each to be elected by the Executive mittee of -	
	(a)	Haryana State Medical Council	Member
	(b)	Haryana State Dental Council	Member
	(c)	Haryana State Nursing Council	Member
	(d)	Haryana State Pharmacy Council	Member
5.	Three representatives to be elected by the Executive of the State Council of Indian Medicine representing the Ayurveda, Siddha and Unani systems of Medicine.		Members
6.	One representative to be elected by the State Council of the Indian Medical Association.		Member
7.	One representative from the line of paramedical systems.		Member
8.	Two representatives from State level consumer group or reputed Non Government organization working in the field of health.		Member

R. R. JOWEL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Health Department.